

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़, जयपुर
 रिष्ठपाल बनाम
 वाद संख्या 89 / 2021 सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------------------------	----------------------

02.07.2021 यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.08.2021 को पेश हों।

SR
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 जमवारामगढ़ जयपुर

10-8-21 दिनांक 9-8-21 को ~~श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट~~
 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~जयपुर~~ के माध्यम से
 पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जमानत
 दिनांक 12-10-21 को पेश हुई।

प्रशासनिक गणना के लिए आगमन, 2021
 श्रावण पंचम 12/11/21
 दिनांक 12/11/21 को ~~श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट~~ पेश हुई
 समय पर पत्रावली नहीं देने के कारण इस लिए पत्रावली
 दिनांक 13/11/21 को पेश हुई।
SR
 शिविर प्रभार
 जयपुर

13/11/21 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा
 अपडेटेस/कार्य का बहिष्कार करने पर
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/3/22 पेश हुई।

23/3/21 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. ~~जयपुर~~
 के माध्यम से ~~श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट~~
 जमानत डेट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली
 दिनांक 9-6-22 को पेश हुई।

9-6-21 पत्रावली पेश हुई। ~~श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट~~
 पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जमानत
 दिनांक 23/8/22 को पेश हुई।

23/8/21 वकील कादी उपर वकील कादी के माध्यम
 से एक क्वॉट डीमा पत्रावली पेश की
 गई थी प्रतिवादीगण को तलबी रजिस्ट्रार
 द्वारा करवा जाकर 5/11/21 को पेश हुई
 पत्रावली दिनांक 17/11/21 को पेश हुई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 जमवारामगढ़ जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़, जयपुर
 रिष्ठपाल बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह
 वाद संख्या /2021

दिनांक

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------------------------	----------------------

23/9/22 पश्चात्तु आज्ञा वादी द्वारा निर्दिष्ट अधिकार विज्ञापन प्रकाशित करने पर तुलना की गई करीब वादी को निर्दिष्ट प्रकृति पत्र द्वारा गथा लकीर वादी ने निर्दिष्ट प्रकृति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में आवे कोष कार्रवाई नहीं चाहते है तथा वाद वापस लेना चाहते है उक्त वाद को कमी लेवल पर विज्ञापन किया जावे/ अतः वादी का निर्दिष्ट प्रकृति पत्र स्वीकार कर वादी को वाद विज्ञापन की स्वीकृति दी जाती है अतः वादी का वाद विज्ञापन स्विकृत किया जाता है पश्चात्तु निर्णय सुनाए जावे अथवा न

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
 जमवारामगढ़ जयपुर